587वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अगस्त 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. **Case No. – 6727/2020 M/s. Mahakaushal Sugar & Power Ind. Ltd, 149, 151, 165, 168, Village - Bahai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur, MP. Prior Environment Clearance for Expansion of Sugar Industry from 4,500 to 8,000 TCD, at Khasra no. 149, 151, 165, 168, at Village - Bachai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur (MP).EIA Consultant: M/s Team Labs and Consultant, Hyderabad.**

This is case of Prior Environment Clearance for Expansion of Sugar Industry From 4,500 to 8,000 TCD, at Khasra no. 149, 151, 165, 168, at Village - Bachai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur (MP). Category-5(j). The application was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 417th SEAC dated 22/01/2020 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

The case was scheduled for presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Committee decided to give last chance to PP for making presentation in the subsequent

meetings of SEAC after which the case shall be returned to SEIAA assuming that PP is not interested to continue with the project.

2. **<u>Case No 9269/2022 M/s Madhya Pradesh Minerals Supply Company, Ward No. 8, P.O. Jaitwara, Dist. Satna, MP - 485221 Prior Environment Clearance for Bauxite, Laterite, Ochre, & White Earth Mine in an area of 15.78 ha. (Bauxite - 35273 Tonne per annum, Laterite - 4294 Tonne per annum, Ochre - 5040 Tonne per annum, Mineral Reject - 9370 Tonne per annum, Overburden - 4410 cum per annum) (Khasra No. 43(P)), Village - Kumhra Judwani, Tehsil - Semariya, Dist. Rewa (MP) Consultant: M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.</u>**

This is case of Bauxite, Laterite, Ochre, & White Earth Mine. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 43(P)), Village - Kumhra Judwani, Tehsil - Semariya, Dist. Rewa (MP) 15.78 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/08/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह सलूजा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री एन.पी. मिश्रा और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेसे, भोपाल उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, अनुमोदित खनन् योजना, पी.एफ.आर. ऑनलाईन अपलोड किए गए है । प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खजिन बाक्साइट (लीज एरिया 15.78 हे.) होने के कारण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् मैनुअली किया जायेगा जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर तथा पूर्वी भाग से लगकर रोड़ निकल रही है, अतः इसका संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । इसी प्रकार खदान के अंदर आबादी है, अतः आर. एण्ड आर. योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के प्रस्तुत की जाये। साथ ही प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. खदान के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर तथा पूर्वी भाग से लगकर रोड़ निकल रही है, अतः इसका संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान के बीच से भी कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः सेट–बैक के साथ इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ (गोलाई) सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. खदान के अंदर आबादी है, अतः आर. एण्ड आर. मय विस्तृत संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के प्रस्तुत की जाये।
5. चूँकि खनन् क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है, अतः सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लॉन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
6. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
7. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो व क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट तथा ईको सर्विसेस स्टडी (पारिस्थितिक तंत्र अध्ययन) की जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
8. स्टेण्डर्ड टॉर के अनुसार कि जाने वाली स्वाइल एनालिसिस के निर्धारित पेरामीटर के साथ स्वाइल में माईक्रो ऑरगेनिजम तथा माईकोराईजा का एस्टीमेशन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उसका उल्लेख करें ।
9. यदि आवंटित खनन् क्षेत्र में टॉप स्वाइल उपलब्ध हो तो उसकी मात्रा की गणना कर उसके सार्थक उपयोग का प्रस्ताव (जैसे वृक्षारोपण इत्यादि) का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में दिया जाये।
10. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
11. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
13. ग्रामसभा की एन.ओ.सी. एवं खसरा पी–2 फार्म ऑनलाईन अपलोड नहीं है, अतः इसे ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें ।
14. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

3. <u>Case No 9271/2022 M/s Pacific Mineral Pvt. Ltd, Baihar Road, Dist. Balaghat, MP - 481001 Prior Environment Clearance for Manganese Mine (Under Ground) in an area of 10.00 ha. (Mn- 10559.8 TPA, Sub Grade- 586.655 TPA & Mineral Reject – 586.655 TPA) (Compartment No. P.O 127), Village- Laugher, Tehsil- Baihar, Dist- Balaghat (MP) Consultant: M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.</u>

This is case of Manganese Mine (Under Ground). The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Compartment No. P.O 127),

Village- Laugher, Tehsil- Baihar, Dist- Balaghat (MP) 10.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/08/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री वेदानंद राय के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संकल्प राय (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रियेटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, पी.एफ.आर. ऑनलाईन अपलोड किए गए है । चूॅकि प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खजिन बाक्साइट (लीज एरिया 10.00 हे.) होने के कारण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह अण्डरग्राउण्ड मैग्नीज ओर की खदान है जिसकी लीज 1988 से 2038 तक स्वीकृत हैं तथा इस प्रकरण को फारेस्ट क्लियरेंस (फाईल नं. एफ.सी.डब्लू/853 दिनांक 08/05/98) प्राप्त है । चूॅकि खनन् कार्य 1988 से किया जा रहा है, अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8–44/90–एफसी दिनांक 07/08/92 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । चूॅकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/08/18 को माइन प्लॉन में संशोधन कराया गया तथा लीज नवीनीकरण हुआ, अतः पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान वर्ष 2017 से बंद है । समिति ने चर्चा उपरांत यह अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ सम्पूर्ण विवरण मय दस्तावेजी प्रमाण सहित इस औचित्य के साथ प्रस्तुत करेगा कि खनन् कार्य 1988 से होने के कारण यह प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के उल्लंघन का नहीं है। यदि किसी भी स्तर पर परियोजना प्रस्तावक या पर्यावरणीय सलाहकार का महसूस होता है कि प्रकरण उल्लंघन का है तो वह उसी समय इस बारे में आवगत करायेगा तथा उल्लंघन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर पुनः टॉर प्राप्त करेगाा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के सम्पूर्ण भाग में पेड़ लगे हैं, अतः इनकी इंवेंट्री ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के बीच से भी कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेंट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ (गोलाई) सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

4. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ सम्पूर्ण विवरण मय दस्तावेजी प्रमाण सहित इस औचित्य के साथ प्रस्तुत करेगा कि खनन् कार्य 1988 से होने के कारण यह प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के उल्लंघन का नहीं है।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
6. माइन वॉटर डिस्चार्ज प्लॉन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन, अन्य खनन् अपशिष्ठ, फायर सेफ्टी हेतु प्रावधान, वेंटीलेशन, एल्युमिनेशन, रूफ स्टेबलाईजेशन, पूर्व में की गई अण्डरग्राउण्ड उत्खनन की स्थिति दर्शाते हुए फोटोग्राफ, अण्उडग्राउण्ड माईन की एंट्री, मेनराइडिंग सिस्टम इत्यादि के सम्पूर्ण विवरण, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. प्रस्तावित खनन् क्षेत्र वन्य प्राणियों का भ्रमण क्षेत्र नहीं है, इसका प्रमाण–पत्र फील्ड डायरेक्टर, कान्हा से प्राप्त कर, ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें तथा खनन् से फ्लोरा एण्ड फोना पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र एवं खनन् परिवहन हेतु प्रस्तावित रोड़ का कितना भाग वन भूमि है, इसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें ।
11. फारेस्ट क्लियरेंस एवं बोर्ड की सम्मति में उल्लेखित शर्तो का सक्षम प्राधिकारी से पालन प्रतिवेदन तथा फारेस्ट कमेटी को दी गई राशि की जानकारी मय प्रमाणिक दस्तावेजों के ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. माइक्रोप्लॉन की प्रति, पालन प्रतिवेदन मय वित्तीय घोषवारे के साथ, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. 24.00 हेक्टेयर डिग्रेटेड फॉरेस्ट लैंड के रि–हेबिलिटेशन का स्टेटस (शुरूआत में तथा आज की स्थिति में) बढ़ोत्री, रि–जनरेशन तथा फॉरेस्ट कव्हर की सिथति माइक्रोप्लान के क्रियान्वयन के बाद सत्यापित अध्ययन रिपोर्ट के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
14. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

4. Case No 9272/2022 Shri Hari Singh Raghuwanshi, Owner, Village - Bardari, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, MP Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone Gitti - 25000 cum per annum, Murrum - 20000 cum per annum) (Khasra No. 646/2, 647 Peki) Village - Khandwa, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, (MP) Env. Consultant: M/s Apex Min Tech. Udaypur, Rajasthan

This is case of Stone & Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 646/2, 647) Village - Khandwa,

Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/08/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री हरी रघुवंशी (ऑनलाइन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (ऑनलाइन) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 981 दिनांक 07/07/2022 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 25.100 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड धार जिले का नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपठनीय है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार को निर्देश दिए गए कि ऑनलाईन दस्तावेज अपलोड करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि पठनीय दस्तावेज ही अपलोड हो । इस संबंध में पर्यावरण सलाहार के द्वारा बताया गया कि आगे इस बात का ध्यान रखा जायेगा तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पेज नं.–48 के तालिका क्रमांक–3 पर प्रश्नाधीन खदान का विवरण दर्ज होना बताया गया हैं । समिति ने पाया कि सेक की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 अनुसार कुछ जानकारियों को समावेश कर अद्यतन संधोधित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है, जो संबंधित खनिज अधिकारी से अभी तक अप्राप्त है, अतः यह जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी अनुमोदित नहीं हुई है । चूँकि प्रकरण टॉर का है तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट प्राप्त होने में 04–05 माह का समय लगने की संभावना है, अतः परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टॉर दिया जा सकता है जिसमें यह उल्लेखित किया जाये कि संबंधित जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने के पश्चात् ही वह ई.आई.ए. रिपोर्ट अपलोड करेंगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 130 मीटर, पश्चिम दिशा में 100 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा उत्तर–पूर्वी दिशा में 770 मीटर पर तालाब है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये । साथ ही प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 130 मीटर, पश्चिम दिशा में 100 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा उत्तर–पूर्वी दिशा में 770 मीटर पर तालाब है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ (गोलाई) सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. पर्यावरण सलाहार के द्वारा बताया गया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पेज नं.–48 के तालिका क्रमांक–3 पर प्रश्नाधीन खदान का विवरण दर्ज हैं किंतु यह अभी अनुमोदित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक संबंधित जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने के पश्चात्

ही वह ई.आई.ए. रिपोर्ट अपलोड करेंगा तथा पठनीय अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगा।

4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आंवटित खदान क्षेत्र पथरीला है, अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि क्या इस क्षेत्र में वृक्षारोपण संभव है, यदि हॉ तो किस प्रकार किया जायेगा तथा यदि नहीं तो वृक्षारोपण किस जगह किया जायेगा ।
6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. Case No 9270/2022 Shri Abhilash Kashyap, Owner, Lakshmev Bhawa Near Little Kingdom School Ke Pass, Shanta Mandir, Near Aastha Parishar, New Ramnagar, Adhartal, Dist. Jabalpur, MP - 482004, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.290 ha. (24290 cum per annum) (Khasra No. 521, 522) Village - Toormadar, Tehsil - Kundam, Dist. Jabalpur, MP

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 521, 522) Village - Toormadar, Tehsil - Kundam, Dist. Jabalpur, (MP) 3.290 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि जबलपुर जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज को छोडकर अन्य गौड खनिज) अनुमोदित हेतु अभी अप्राप्त है तथापि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस प्रस्तावित खदान का उल्लेख नही है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं

है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लम्बित रहने की स्थिति न बने ।

6. Case No 8589/2021 Smt. Meenakshi Parashar, MIG 9, Vipatpura Housing Board Colony, Dist. Narsinghpur, MP - 487001, MP. Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) at at Khasra No. - 163/2, Village - Biner, Tehsil - Kareli, Dist. Narsinghpur, (MP)Biner, Tehsil - Kareli, Dist. Narsinghpur, (MP) . (Category – 7(da) (CBWTF Project) Env. Con. - Env. Consultant M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP Gurugram, Haryana.

This is case of Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) at Village - Biner, Tehsil - Kareli, Dist. Narsinghpur, (MP). The application was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

The case was presented by the PP and their consultant in 554th meeting dated 23.02.2022, wherein the case was presented by Env. Consultant Shri G. K. Mishra from M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP Gurugram, Haryana on behalf of PP, wherein PP submitted following points wrt information desired in the SEAC 507th meeting dated 10.08.2021:

- The fresh water requirement is less than 10 KLD for that water abstraction NOC from CGWA will not be required. Copy of guideline will be submitted at the time of EIA.Construction water will be purchased by the private water tanker suppliers.
- Proposal made for this project with the area of 5390 sq. meters out of this 4050 sq. meters area is dedicated for entire industrial activities and diverted accordingly and rest of the area will be developed under plantations on behalf of the project to reduce all type of pollution load and to build a green plant.

Following details were submitted by the PP during presentation :

- Proposal is to establish Common Bio- Medical Waste Treatment Facility at Village - Biner, Tehsil - Kareli, Dist. Narsinghpur, (MP) to provide cleaner and healthier environment by adhering to the provisions of Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules 1998 as amended in 2000 and making a contribution in protecting our environment.

- The project is proposed at Village – Biner, Tehsil – Kareli, District – Narsinghpur (Madhya Pradesh) over an area 5390 Sq.mt. (1.32 Acre).
- The project involves development of Common Bio Medical Waste Treatment Facility which is categorized under Item 7 (d) (a) of the Schedule-Gazette Notification dated 17th April 2015.
- 3 types of treatment options shall be provided in Common Biomedical Waste Treatment Facility (CBWTF) as Incineration, Autoclaving & Shredding.
- Sharp pit is also been provisioned for the encapsulation of Sharps such as Needles, Scalpels etc
- Effluent Treatment Unit: for the treatment of Effluent generated during the process of Bio-Medical waste Treatment, Floor Washing and Vehicle Washing etc.

The treated bio-medical waste shall be disposed of as per following:

- Disposal:
    - Incineration ash: Secured landfill
    - Plastic waste after disinfection and shredding: Recycling or municipal landfill
    - Disinfected Sharps: encapsulation
    - Other treated solid wastes: Municipal landfill/TSDF
    - Sewage Sludge, Oil & grease: Incineration
    - Treated waste water: recycling, washing & cleaning of Vehicles and use in green belt.

- **Salient Features of the Project**

Name of the project	Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF)
Promoter	**Mrs. Meenakshi Parashar**
Location of Industry	Village – Biner, Tehsil – Kareli, District – Narsinghpur, MadhyaPradesh
Total Plot Area	**5390 Sq.mt.**(1.32 Acre) or **5390 Sq.mt.**
Open Area	809.23 sq.mt.
Green Area	1138.66 sq. mt.
Capacity	• 1 No. Incinerator of capacity 200 kg/hr (Dry) • 1 No. Autoclave of capacity 100 kg/hr • 1 No. Shredder of capacity 100 kg/hr each • ETP Capacity – 7.5 KLD (MBBR)

Waste Water Generation	7.1 KLD		
ETP	7.5 KLD		
Treated Water from the unit	5.68 KLD (Reuse 5 KLD Landscaping & 0.68 Misc. Purpose.)		
Power Requirement	Approx. 42 kVA for operation phaseSupply source – (MPEB) Back up- DG. Set of 200 KVA as standby.		
Water Requirement	Approximately 5 KLD of water required during construction ofthe unit from Private water tankers.		
	Water Demand in Operational Phase:		
	S.no.	Particulars	Demand in KLD
	1.	Domestic Water Requirement	1.00
	2.	Process Water Requirement	3.00
	3.	Vehicle Washing	6.00
	4.	Landscaping	5.00
		Total Water Demand	**15 KLD**
Manpower Requirement	50 persons		
Estimated Project cost	Rs. 0.95 Crores		
Nearest Railway Station	Narsinghpur Railway Station – 14.19 km in NE direction.		
Nearest Highway	NH2B- 9.63 Km (NE)		
Nearest Airport	Jabalpur Airport– 101.68 Km in NE direction away from the site		
Coordinates	22°51'40.26"N, 79° 6'22.64"E		

After presentation the Committee after deliberations decided to recommend standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TORs as per conditions mentioned in Annexure-D:-

1. PP shall carry out comprehensive gap analysis through data authentication from Government agency and justify their proposal for establishment of another CBWTF within 75 kms radius.
2. Carbon foot print study with quantification & mitigation measures.
3. BMW quantification with justification for expansion facility.

4. Explore the possibility for in-house lab in the premises.
5. Justify in EIA report, how unit will remain zero discharge.
6. Proposal for GPS enable vehicles, their route maps and stack height etc.
7. Disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
8. Justify in EIA report that the proposed technology is "Best Available Technology" of CBWTF and also how unit will remain zero discharge.
9. Maximum storage time of Bio-medical waste within the facility and disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
10. Monitoring of VOC should be added in the proposed monitoring protocol of EIA study.
11. Detail of power supply in the construction & operation phase.
12. How much HSD for DG set will be stored at the site?
13. PP shall obtain CTE from the MP Pollution Control Board and same shall be appended with EIA report.
14. Proposal for GPS enable vehicles and their route maps shall be discussed in the EIA report.
15. Elaborate handling and disposal of hazardous waste and possible spillage avoidance with control measures proposed for mitigation of odour nuisance shall be discussed in the EIA report.
16. Detailed layout of various proposed facilities with their capacities and design criteria shall be discussed in the EIA report.
17. Ash storage and sharp pit design criteria shall be discussed in the EIA report.

PP has submitted the online EIA report on Parivesh portal which was forwarded by SEIAA to SEAC on dated 08/07/2022.

The EIA was presented by Env. Consultant Shri Rahul Yadav, M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP Gurugram, Haryana with PP's authrised representative Mr. U.S. Parashar H/o Mrs. Meenakshi Parashar.

During presentation PP submitted that they are proposing this biomedical waste treatment and disposal facility only for one district i.e. Narsinghpur. PP further submitted that as per CPCB guidelines no facility is sitiuated within 75 Kms radius of this facility and expected load is off approx 1950 beds. During discussion committee enquired that if the proposal is for 200 kg/hr incineraton and expected waste from 1950 beds is appeox 500kg/day, how system will sustain and waste will be incinerated. During appraisl it was obserbed by the committee that the site is not in industrial area thus PP shall justify the location criteria as per CPCB guidelines and measures proposed for all sensitivity features 500 meters aroud the proposed site. After discussion, PP was asked to submit following details/information:

1) If the proposal is for 200 kg/hr incineraton and expected waste from 1950 beds is appeox 500 kg/day, how waste will be incinerated s per CPCB protocol and system will sustain (technically & financially).
2) Commitment of PP that this proposed biomedical waste treatment and disposal facility is only for one district i.e. Narsinghpur.
3) The proposed site is not in industrial area thus please justify the location criteria as per CPCB guidelines and protection measures proposed considering "Best Available Technology" for all sensitivity features 500 meters
4) Complete list of HCF of 1950 beds addressed in the Gap analysis.
5) Revised CER programme as suggested by committee with time schedule for its completion.
6) Revised plantation species as suggested by committee.

PP has submitted the online query reply raised in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022 through "Parivesh Portal" on dated 27.07.2022 and thus the cxase was scheduled in the 587th SEAC meeting dated 02/08/22.

The query reply was presented by Env. Consultant Shri Rahul Yadav (on line) from M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP Gurugram, Haryana with PP's authorized representative Mr. U.S. Parashar H/o Mrs. Meenakshi Parashar. During presentation it was observed by the committee that PP has submitted satisfactory reply of all the raised quaries. Committee further observed that PP has given commitment that this proposed biomedical waste treatment and disposal facility is only for one district i.e. Narsinghpur which is also in accordance with the MP Pollution Control Board gap analysis report to have atleast one facility in each district framed in as per CPCB guidelines. During presentation, PP submitted that they have also obtained CTE from MP Pollution Control Board issud on 29/07/22. After deliberations, the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility through 200 Kg per hour incineration project, Land Area- (5390 sq. meters) at Khasra No. - 163/2, Village - Biner, Tehsil - Kareli, Dist. Narsinghpur, (MP), under 7(da) for Common Biomedical Waste Treatment, Storage and Disposal Facilities (CBWTF) subject to the following special conditions:

I. **Statutory Compliance**

Sl. No.	Equipment	Number	Installed Capacity
1	Incinerator (Dry)	1Nos.	200 kg/hr.
2	Autoclave	1Nos.	100 kg/hr
3	Shredder	1+1Nos.	200kg/hr. each
4	Effluent Treatment Plant	1Nos.	7.5 KLD (MBBR)

i. The project proponent shall obtain Consent to establish and Consent to Operate (CTE & CTO) under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the MP Pollution Control Board. The plant shall commence operations only after obtaining CTO from MP Pollution Control Board.

ii. Transportation and handling of Bio-medical Wastes shall be as per the Biomedical Wastes (Management and Handling) Rules, 2016 including the section 129 to 137 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.

iii. Project Proponent shall fulfill all the provisions of Biomedical Wastes (Management and Handling) Rules, 2016 including collection, transportation, design criteria etc and follow guidelines issued by CPCB for Bio-medical Waste.

iv. Project shall fulfill hall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water/from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

v. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controlled of Explosive, Fire Department Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable by project proponent from the respective competent authorities.

II. **<u>Air quality monitoring and preservation</u>**

i. The project proponent shall install online emission monitoring system including Dioxin and furans to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment in Environment (Protection) Rules, 1986 and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these systems from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories. If online monitoring of Dioxin and furans is not possible, same shall be monitored manually.

ii. Periodical air quality monitoring in and around the site including VOC, HC shall be carried out.

iii. Incineration plant shall be operated (combustion chambers) with temperature, retention time and turbulence, so as to achieve Total Organic Carbon (TOC) consent in the slag and bottom ashes less than 3% or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight of the materials.

iv. Adequate air pollution control system should be provided with the incinerator to arrest the gaseous emission with stack of adequate height (Minimum 30 meters) to control particulate emission.

v. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed standards. All necessary air pollution Control devises (quenching, venturi scrubber, mist eliminatory) should be provided for compliance of emission standards.

vi. Masking agents should be used for odour standards.

III. **<u>Water quality monitoring and preservation</u>**

i. The project proponent shall install effluent monitoring system with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules, 1986 through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. Waste water generated from the facility hall be treated in the ETP and The water after primary treatment shall be sent to CETP for further treatment and record shall be maintained. The water quality of treated effluent shall meet the norms prescribed by State Pollution Control Board. Zero liquid discharge shall be maintained.

iii. Process effluent /any waste water should not be allowed to mix with storm water.

iv. The source of water supply for proposed facility shall be sourced from ground water. The amount of total wastewater generated out of the proposed Bio Medical Waste Treatment Facility is 7.1 KLD which shall be treated in 7.5 KLD capacity of proposed ETP. It will be a zero liquid discharge unit. The details of the water bifurcation are given in below table:

S. No	**Particulars**	**Demand in KLD**
1	Domestic Water Requirement	1.0 KLD
2	Process Water Requirement	3.0 KLD
3	Vehicle Washing	6.0 KLD
4	Landscaping	5.0 KLD
Total Water Demand		**15.0 KLD**

i. Zero discharge treatment system shall be provided. No soil contamination is anticipated from the proposed project as the land fill facility will have liner system to arrest any contamination.

ii. Web based camera shall be installed to monitor the ZLD condition.

iii. The leachate, if any, from the facility shall be collected and treated to meet the prescribed standards before disposal.

iv. A drain along the boundary wall shall be made, and shall be connected to settling tank to protect the flow of contaminant towards nearby land
v. The run-off generation will be minimized by diverting run-off from areas external to the plant to storm water discharge points;

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
ii. The sources of noise generation will Incinerator, pumps, Compressors, etc. All machinery has been manufactured as per OSHA/MoEF guidelines. Earplugs have been provided to workers working in noise prone area.
iii. Ambient noise levels is in accordance with MoEF notification dated 14-02-2000 i.e. noise levels will be < 75 dB (A) during daytime and < 70 dB (A) during night time. No additional increase is expected.

V. **Energy Conservation measures**

i. Provide solar power generation roof tops of building, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
ii. Provide LED lights in their offices and residential areas.
iii. Power will be required about 42 KVA which have been sourced through Madhya Pradesh Vidyut Vitaran Company Ltd. (Power Back up- DG. Set of 200 KVA as standby).

VI. **Waste management**

i. Incinerated ash and other shredded or Autoclaved waste shall be disposed at approved TSDF and MoU made in this regard shall be submitted to the SPCB prior to the Commencement.
ii. The solid wastes shall be segregated as per the norms of the solid Waste Management Rules, 2016.
iii. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.
iv. No landfill site is allowed within the CBWTF site.
v. Regular monitoring and analysis of village Pond flowing nearby and nearby pond shall be carried out
vi. RCC dyke/platform should be constructed for storage of chemicals and oil drums to avoid spillage.

vii. The project proponent shall not store the Hazardous Wastes more than the quantity that has been permitted by the CPCB/SPCB and disposed them as per condition of the authorization .

VI <u>Safety,Public hearing, and Human health issues.</u>

i. Feeding of materials/Bio-medical waste should be mechanized and automatic no manual feeding is permitted.
ii. Proper parking facility should be provided for employee & transport used for collection & disposal of waste materials.
iii. Necessary provision shall be made for fire-fighting facilities within the complex.
iv. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
v. Emergency plan shall be drawn in consultation with SPCB/CPCB and implemented in order to minimize the hazards to human health of environment from fires, explosion or/any unplanned sudden or gradual release of hazardous waste or hazardous waste constituents to air, soil or surface water.
vi. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, reache etc. the housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
vii. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

VII. **<u>Green Belt</u>**

i. Total area for green belt shall be 1138.66 sq. m. About 180 number of trees will be planted for the development of the green belt within the project area.

S. No.	Botanical Name	Common Name	No. of tress	Plantation location/ Direction
1	Azadirachta indica	Neem	60	North East & North West
2	Bauhinia purpurea	kachnar	20	East and west
3	Roystonea oleracea	Royal bottle palm	10	Central verge
4	Ficus panda	Golden Ficus	10	Central verge
5	Bambusa arundinacae	Katang Bamboo	40	North East
6	Cassia biflora	Sonorant cassia	20	Internal row
7	Saraca asoka	Ashok tree	10	Near by all entry & exit
8	Alstonia scholaris	Saharan	10	In between the rows

We are also proposing plants of Mehndi (lawsonia inermis) for the Hedge development and creepers of Giloy (tinospora cordifolia) on the all around fencing

IX. EMP& CER

i. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to during into focus any infringements/ deviation/ violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/condition. The company shall have defined system of reporting infringements/ deviation/ violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF & CC as a part of six monthly reports.

ii. In the EMP PP have proposed Rs. 41.50 lakh as capital cost and 08.25 lakh/year for recurring expenses.

iii. PP shall provide budget of Rs 03.50 Lacs under CER budget and shall be incurred as per the proposal given below table:

S. No.	Proposed CER Activities	Budget (INR) in lakhs
1	We are committing herewith for the local welfare fund of Nearby National Park/ sanctuary (Satpura Tiger Reserve)	2.0
2	Regular medical health checks up camps in nearby villages.	0.5
3	Funding proposed for the Nearby village under Poshan Aahar	1.0
Total CER Budget		**3.5 Lacs**

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senor Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Officer along with the six monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. **<u>Miscellaneous</u>**

i. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
ii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Head of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
iii. The project proponent shall upload the status of compliances of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same of half-yearly basis.
iv. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest, and Climate Change at environmental clearance portal.
v. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.
vi. The criteria pollutant levels namely, SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emission) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company in the public domain.
vii. The project proponent shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities. Commencing the land development work and start of production operation by the project.
viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the State Pollution Control Board and the State Government.
ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
x. No further expansion of modification in the plant shall be carried out within prior approval of the Ministry of Environment Forests and Climate Change (MoEF & CC).
xi. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xii. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
xiii. The ministry reserves the right to stipulated additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
xiv. The Regional Office of the Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extent full cooperation to the Officer(s) of the Regional Office by furnishing the requisite data/information/monitoring report.
xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts/NGT and any other Court of Law relating to the submit matter.

7. Case No 9220/2022 M/s Devi Construction, Prop., Shri Jitendra Kumar Pateria, Village - Berkheri, Post - Sahawan, Tehsil - Banda, Dist. Sagar, MP - 470337, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 564), Village - Berkheri, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 564), Village - Berkheri, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र कमांक 966 दिनांक 25/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 170 मीटर एवं पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर पक्की रोड़ है । इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 मीटर पर स्केटर्ड आवास हैं । आवंटित क्षेत्र प्राकृतिक जल धारा से निर्मित गुली पर स्थित है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- ✓ नॉन माईनिंग क्षेत्र (लीज के दक्षिणी—पूर्वी भाग) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. / वृक्षारोपण / सीईआर योजना ।

प्ररियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन दिनांक 24 / 6 / 22 को प्रस्तुत कर दी गई है ।

प्रकरण पूर्व में सेक की 582वीं बैठक दिनांक 29 / 06 / 22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24 / 06 / 22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । समिति के संज्ञान में लाया गया कि सिया के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 28 / 06 / 22 के माध्यम से प्रकरण क्रमांक 9920 / 2022 ग्राम बनखेड़ी तहसील बंडा जिला सागर, परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र कुमार पटेरिया के नाम से स्वीकृत खदान के संबंध में एक शिकायत उनको प्राप्त हुई है, जो उनके द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से निराकरण हेतु सेक को प्रेषित की गई है । प्राप्त शिकायत का समिति ने अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी राजा सिंह, ग्राम बनखेड़ी तहसील बंडा जिला सागर ने अपने पत्र क्रमांक निल दिनांक निल के द्वारा शिकायत की है कि —

''सिया केस केस संख्या 9220 / 22 से पर्यावरण की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है जो कि स्वीकृति योग्य नहीं है 150 मीटर के अंदर आदिवासी रहवासी क्षेत्र स्थित है जिससे लोगों के घरों पर खदान से पत्थर एवं धूल आएगी जिसका लोगों की जीवनी पर बुरा असर होगा कृपया खदान की अनुमति किसी अन्य क्षेत्र में दी जाये उक्त जगह पर नहीं दी जाये ।

समिति ने उपरोक्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में यह पाया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण—पत्र (क्रमांक 966 दिनांक 25 / 05 / 22) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई मानव बसाहट नहीं है किंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्केटर्ड आवास स्थित हैं जो प्रश्नाधीन खदान से 200 मीटर से अधिक दूरी पर परिलक्षित हो रहे है। अतः समिति ने यह अनुशंसा की कि उपरोक्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) या प्रभारी, अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, सागर से यह प्रमाणिक जानकारी 15 दिनों के अंदर प्राप्त की जाये कि क्या प्रश्नाधीन खदान के 150 मीटर के अंदर कोई आदिवासी रहवासी क्षेत्र स्थित है जिससे लोगों के घरों पर खदान से पत्थर एवं धूल आएगी तथा उन लोगों की जीवनी पर बुरा असर होगा । उपरोक्तानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकरण में विचार किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन क्येरी रिप्लाई परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21/07/22 को प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक ने सूचित किया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा सागर मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 1083 खनिज 2022 सागर दिनांक 19.07. 2022, कार्यालय तहसीलदार बंडा जिला सागर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 243 बंडा दिनांक 18.07. 2022 एवं पटवारी द्वारा संलग्न मौका पंचनामा रिपोर्ट के अनुसार यह प्रमाणित किया गया है की उक्त उत्खनिपट्टे से आदिवासी टोला 350 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं टोले से अलग से मकान जो की उत्खनिपट्टे से 245 मीटर पर बना है। अतः उत्खनिपट्टे के 150 मीटर में किसी आदिवासी का रहवास नहीं है।

प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि सागर जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित हेतु अभी तक अप्राप्त है तथापि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अपलोड किया गया है जिसमें प्रस्तावित खदान का उल्लेख नही है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लम्बित रहने की स्थिति न बने ।

8. **Case No 6819/2020 M/s Atul Polychem, 2nd Floor, Amit Apartment, E-5, Ratlam Kothi, Dist. Indore, MP – 452001 Prior Environment Clearance for Expansion in manufacturing of Synthetic Resin (From 2,700 to 11,000 MT/annum) at Khasra No. 58/1/K, Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, AB Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). Cat. - 5(f). Environmental Consultant:San Envirotech Pvt. Ltd.**

This is the case for Prior Environment Clearance for Expansion in manufacturing of Synthetic Resin at Khasra No. 58/1/k, Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, AB Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). The proposed project falls under item no 5(f).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 425th SEAC meeting dated 26/02/20 wherein ToR was recommended.

EC recommended in 458 SEAC meeting dated 22-09-20. EC granted in 642 SEIAA meeting dated 05-10-20. EC issued vide letter no. 4519-20/SEIAA/20 dated 27-10-20.

SEIAA has sent the on-line case file to SEAC on 23-06-22 for EC amendment. PP has applied for EC amendment in the prescribed form- 4.

The case was presented by the PP and their consultant wherein PP submitted that as per granted EC the total water requirement of plant after expansion will increase to 10.5 KLD and waste water generation will be 6.5 KLD (Domestic 2.0 KLD, condensate from process 3.5 KLD & cooling bleed off 1.0 KLD). PP further submitted that in their

submitted EIA report they have proposed to send industrial effluent to CETP after primary treatment at site. However, as per granted EC, it has been instructed by H'ble SEIAA/SEAC M.P. to ensure "Zero Effluent Discharge" from the unit by recycling. To ensure ZLD, industry had explored the possibility of installation of "Zero Liquid Discharge" Plant & reuses the treated water within the premises. However, the capital & maintenance cost for ZLD Plant is expensive. Investment on ZLD plant will be expensive for the industry and the industry would not be able to manufacture the final product at a reasonable cost due to which economic viability will be lost as the cost of ETP for this unit will be approx. 70.00 lakhs.Thus we request the H'ble SEIAA/SEAC M.P. for amendment in EC to allow us to send industrial effluent after primary treatment to CETP, Indore for further treatment & disposal. The case was scheduled for presentation and discussion in the 582nd SEAC meting dated 29/06/22 wherein after presentation PP was asked to submit following information for further consideration of the project:

1. Since during public hearing it was redommended by the district authorities that CETP at Sanwer Road, Indore is for the industries located in that area thus what are the zone of influence / consideration of CETP Sanwer Road, Indore? Please provide credible proof issued by the competent authorities to justify your proposal.
2. Detailed justification (component wise) of cost of proposed ETP for Rs. 75.00 lakhs.
3. How PP will ensure safe and spill proof transportation of waste water through tankers from plant site at Mangliya to CETP at Sanwer Road, Indore. How much distance will be travelled by road?

PP has submitted the online query reply raised in 582nd SEAC meeting dated 29.06.2022 through "Parivesh Portal" on dated 17.07.2022 and thus the cxase was scheduled in the 587th SEAC meeting dated 02/08/22. The case was presented by the PP Mr. Ajay Patel (online). During presentation it was observed by the committee that PP is unable to justify their request for amendment in previous EC conditions. PP is also unable to produce credible proof of competent authorities prescribing the zone of influence / consideration of CETP Sanwer Road, Indore. Committee further observed that in the minutes of public hearing following recommendations were made by the competent authorities:

''उद्योग द्वारा दूषित जल का प्राथमिक उपचार कर इसे लगभग 18 किलोमीटर दूर सांवेर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कॉमन इफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट में अंतिम रूप से उपचार एवं निष्पादन हेतु भेजे जाने का प्रस्ताव दिया गया है । यह मान्य योग्य नहीं है । उक्त सीईटीपी सांवेर रोड़ औद्योगिक हेतु स्थापित किया गया है, अतः उद्योग स्वयं के परिसर में विस्तृत दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना करेगा व उपचारित दूषित जल का पुनर्उपयोग उद्योग/परिसर में वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा व उद्योग परिसर से बाहर शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जावेगी । उद्योग द्वारा

घरेलू कार्यो से उत्पन्न दूषित जल को सोकपिट में छोड़े जाने का प्रस्ताव मान्य योग्य नहीं है । उद्योग द्वारा उपरोक्तानुसार परिसर में सीवेज सह इफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जावे व सभी प्रकार के दूषित जल का उपचार कर उसका पुनर्उपयोग सुनिश्चित् किया जावे'' ।

Considering above recommendations of public hearing a condition was imposed to install ETP and also to ensure "Zero Effluent Discharge". After deliberations, committee does not agree to the submissions made by PP as no logical answers/reasons are provided by PP to amend the conditions and decided to stands by its earlier recommendations made in 458th SEAC meeting dated 22/09/20.

9. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – आगर मालवा, म.प्र.– (रेत खनिज)</u>

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–आगर मालवा के पत्र क्रमांक 1926 दिनांक 22/06/22 के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2021, (रेत खनिज) जिला– आगर मालवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को प्रेषित की गई थी, जिसकी प्रतिलिपि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) को दी गई थी किंतु उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आज दिनांक तक सेक में अप्राप्त है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) जिला–आगर मालवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को ई–मेल के माध्यम से दिनांक 20/07/22 को प्राप्त हुई है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–आगर मालवा से प्राप्त में यह उल्लेखित है कि संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म), भोपाल के दिशा–निर्देशानुसार गठित समिति द्वारा उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा की गई हैं ।

उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2021 (रेत खनिज), राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/07/22 (सॉफ्टकॉपी) को प्रेषित की गई थी तथा प्रस्तुतीकरण/चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में प्रस्तावित की गई।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में आगर मालवा जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2021 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, कटनी की ओर से श्री सतीश मिश्रा, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :–

1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट (पेज–56 एवं 57) अनुसार जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है।
2. उक्त जिला सर्वेक्षण के अवलोकन से यह ज्ञात नहीं होता कि इसे आमजन के सुझाव आंमत्रित करने बाबत् उसे जिले के पोर्टल पर नियत अवधि के लिए कब अपलोड किया गया तथा उक्त समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने पर उसका निराकरण किस प्रकार किया गया ।
3. इसी प्रकार इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में लीजवार/नदीवार रेत की उपलब्धता दर्शाने वाली

तालिका में विवरण नहीं दिया गया हैं ।

4. पेज नं. 45 पर प्रस्तुत रेनफॉल की जानकारी अस्पष्ट/अपठनीय है ।
5. तालिका मे ना ही नदी–वार लीजों की सूची, स्वीकृत क्षेत्र, स्वीकृत माईनिंग, गहराई के साथ उपलब्ध रेत की मात्रा एंव तदुपरांत उत्पादन, खनिज योग्य खनिज क्षमता, मात्रा की 60% मात्रा को दर्शाया जाना चाहिये। अतएव इस तालिका को पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है।
6. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।
7. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
8. प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।
9. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए।
10. समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
11. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि आगर मालवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री सतीश मिश्रा प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण,

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

10.<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – कटनी, म.प्र.– (रेत खनिज)</u>

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कटनी के पत्र क्रमांक 1726 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022, (रेत खनिज) जिला–कटनी राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रतिलिपि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) को दी गई थी। कार्यालय (खनिज शाखा) जिला–कटनी, म.प्र. ने अवगत कराया कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (**रेत खनिज**) पर सुझाव आंमत्रित करने बाबत् उसे जिले के पोर्टल पर नियत अवधि के लिए अपलोड किया गया था। उक्त समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही होने के फलस्वरूप दिनांक 22/07/2022 को गठित समिति के समक्ष रखी गई थी ।

उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज), राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/07/22 (सॉफ्टकॉपी) को प्रेषित की गई थी तथा प्रस्तुतीकरण/चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में प्रस्तावित की गई।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 तक कटनी जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, कटनी की ओर से श्री पवन कुशवाहा, खनि निरीक्षक ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि:–

1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट (पेज–56 एवं 57) अनुसार जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है।
2. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।
3. प्राप्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज) के साथ संलग्न प्रपत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि दिनांक 22/07/22 को आयोजित जिला समिति की बैठक में इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया अथवा नहीं, अतः जिला समिति की स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त की जाये अथवा जिला समिति के पूर्ण कार्यवाही संलग्न करें जिसमें जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उनके द्वारा अनुमोदित की गई हो ।
4. पिछले तीन वर्षो के दौरान रेत खनिज राजस्व प्राप्ति के ब्यौरों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वर्ष 2019–20 में रेत का उत्पादन 65,000 घनमीटर दर्शाया गया है जबकि रॉयल्टी

शून्य दर्शाई गई हैं । (पेज नं.–35)

5. जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट मे बहुत सारी जानकारियां मुख्य एंव गौण खनिज की दी गयी है।
6. पेज नं. 45 पर प्रस्तुत रेनफॉल की जानकारी अस्पष्ट/अपठनीय है ।
7. पेज नं.–35 के अंतिम पैराग्राफ में दी गई तालिका के विवरण अपठनीय है ।
8. पेज न0. 56 के अन्तर्गत प्रदाय की जानकारी अपूर्ण है। इस तालिका मे ना ही नदी–वार लीजों की सूची, स्वीकृत क्षेत्र, स्वीकृत माईनिंग, गहराई के साथ उपलब्ध रेत की मात्रा एंव तदुपरांत उत्पादन, खनिज योग्य खनिज क्षमता, मात्रा की 60% मात्रा को दर्शाया जाना चाहिये। अतएव इस तालिका को पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है।
9. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
10. प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।
11. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए।
12. समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
13. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि कटनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री श्री पवन कुशवाहा, खनि निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट

अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

11.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – सीधी, म.प्र.– (रेत एंव अन्य गौण खनिज)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के पत्र क्रमांक 220 दिनांक 14/07/22 के माध्यम से सीधी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट **रेत एंव अन्य गौण खनिज** हेतु अलग–अलग 02 वॉल्यूम में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु ई–मेल के माध्यम से (सॉफ्टकापी) भेजी गई है जो राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को दिनांक 22/07/22 को प्राप्त हुई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 24/07/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को प्रस्तावित है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी म.प्र. के पत्र क्रमांक 220 दिनांक 14/07/2022 द्वारा प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि इस रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 30/06/22 को किया गया तथा अनुमोदन उपरांत जिले की बेवसाईट पर दिनांक 01/06/22 को अपलोड किया गया, जिसमें कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को सीधी जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, सीधी की ओर से सुश्री दीपमाला तिवारी, खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :–

अ. वॉल्यूम–01 रेत खनिज

1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में कुछ जानकारियॉ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट / तालिका में नहीं दी गई है । जैसे टेबिल क्रमांक 15 एवं 16 में खनिज रेत हेतु लीजवार "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार लम्बाई एंव चौड़ाई के साथ नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।
2. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।
3. इसी प्रकार एनुअल डिपोजिशन तथा मिनरल पोटेंशियल की जानकारी भी अधिसूचना में निहित प्रपत्र अनुसार दी जाना चाहिए ।
4. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित

अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।

5. समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों/कछुआ /घड़ियाल/मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है।

ब. वॉल्यूम–02 अन्य गौण खनिज

1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–अन्य गौण खनिज पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है ।
2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका–3 (पेज कमांक–08 से 12) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में नहीं है । निर्धारित प्रपत्र के कमांक–9 के कॉलम–05, 13, 14, 15 एवं 16 इत्यादि की जानकारी नहीं दी गई हैं ।
3. इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका–14 की जानकारी अधिसूचना के निर्धारित प्रपत्र के कमांक–13 में प्रस्तावित टेबिल के अनुरूप नहीं है ।
4. इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निर्धारित प्रपत्र के बिंदु कमांक–18, 20, 25 एवं 26 की जानकारियों का समावेश नहीं किया गया है, जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है ।
5. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) के पेज न0. 28 के बिन्दु क0. 16 में जिले मे स्थित इको सेंसिटिव जोन की जानकारी दी गयी है, जिसमें बताया गया है जिले मे संजय डुबरी (Sanjay-Dubri N.P.& Tiger Reserve) राष्ट्रीय पार्क एंव टाईगर रिजर्व, सोन–घड़ियाल, अभ्यारण एंव बगदरा वन्य प्राणी अभ्यारण स्थित होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें पाये जाने वाले जंगली जानवरों का भी उल्लेख है। चूॅकि सीधी जिला वन्य प्राणी, जलचरों एंव वनस्थिति दृष्टि अत्याधिक संवेदनशील है अतएव डी.एस.आर. के इस पार्ट तीनों ईको सेंसीटिव जोन यथा–सजंय–डुबरी राष्ट्रीय पार्क, सोन घड़ियाल अभ्यारण एंव बगदरा वन्य प्राणी अभ्यारण के अन्तर्गत इनकी सीमायें की जानकारी (Extentd) नोटिफिकेशन न0.एंव कोर जोन एंव बफर जोन मे आने वाले गांवों की सूचि का समावेश करना अत्याधिक आवश्यक है जिससे खनन गतिविधि का कोई भी विसम प्रभाव वन्य–प्राणी के रहवास एंव इनके संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र पर न पड़े एवं इनसे संबंधित अधिसूचनाओं की प्रति भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संलग्न की जाना चाहिए ।
6. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी गई है। जानकारी के लीजवार शामिल कर अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।
7. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु

अवगत करायें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला सीधी को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित सुश्री दीपमाला तिवारी, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

12.<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – दतिया, म.प्र.– (रेत खनिज)</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र कमांक 1198 दिनांक 20/07/22 के माध्यम से दतिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु सॉफ्टकापी भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 24/07/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक .02/08/2022 में प्रस्तावित है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया म.प्र. ने पत्र कमांक 543 दिनांक 14/07/2022 द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया कार्यालय में **ऑन**लाईन जमा कराई गई। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – दतिया म.प्र. ने पत्र में यह उल्लेख किया गया कि जिला पोर्टल पर इसे 21 दिवस हेतु अपलोड कर प्राप्त दावें /आपत्तियों हेतु रखा गया एंव प्राप्त दावा आपत्तियों का समिति द्वारा अवलोकन एंव निराकरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन किया गया। पूर्ण परीक्षण उपरांत डी.एस.आर. के भौतिक और भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित प्रांसगिक तथ्यों के सही पाये जाने पर समिति द्वारा अनुमोदन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में दतिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग,दतिया की ओर से श्री रमेश पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :–

1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपूर्ण है।
2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0. 31 एवं 32 की जानकारी में अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 अनुसार निर्धारित प्रपत्र में नहीं है जैसे तालिका में प्रपत्र अनुसार नदी की खदानों मे चौडाई एंव गहराई कितनी ली गई है जिस आधार पर रेत की मात्रा की गणना की

गयी है उसका उल्लेख नही किया गया है ।

3. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।
4. इसी प्रकार जो जानकारी पेज 33 पर उल्लेखित है उसमें उपरोक्त बिंदु क्रमांक–02 की तालिका संबंधी अधिकांश जानकारियॉ दी गई सिर्फ 60 प्रतिशत टोटल माईनेवल प्रोटेंशियल की गणना नहीं की गई हैं जो रेत खनन के प्रकरणों में पर्यावरणीय स्वीकृति के परीक्षण के दौरान आवश्यक है । अतः नदी में आवंटित सभी माइनिंग लीजों की जानकारी में ''60 प्रतिशत टोटल माईनेवल प्रोटेंशियल'' की गणना कर एकजाई जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये ।
5. पेज न0. 41 में Annexure – III के अन्तर्गत प्रदाय की तालिका में जानकारी निरंक दशाई गई है जबकि इस तालिका में नदीवार विभिन्न लीजों की जानकारी का समावेश किया जाना चाहिये।
6. पेज न0. 42 मे Annexure - VI के अन्तर्गत प्रदाय की जानकारी अपूर्ण है। इस तालिका मे ना ही नदी–वार लीजों की सूची, स्वीकृत क्षेत्र, स्वीकृत माईनिंग, गहराई के साथ उपलब्ध रेत की मात्रा एंव तदुपरांत उत्पादन, खनिज योग्य खनिज क्षमता, मात्रा की 60% मात्रा को दर्शाया जाना चाहिये। अतएव इस तालिका को पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है।
7. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 52 जिसमें पोस्ट और प्री मानसून में रेत की उपलब्धता दर्शाई गई है, संबंधित दोनों तालिका में जो रेत की उपलब्धता एवं स्वीकृत गहराई के साथ जो गणना की गई है, वह सही प्रतीत नहीं होती है । क्योंकि इस तालिका मे रेत की उपलब्ध मात्रा की गणना करने मे रेत की खदान की औसत गहराई प्री–मानसून एंव पोस्ट मानसून मे एक समान ली गई है। अतएव इसको पुनः सत्यापित कर लेवें।
8. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 31, 32 एवं 33 पर दी गई जानकारी पुनः पेज नं. 41 एवं 42 पर प्रदर्शित की गई है, जिसमें जानकारी भिन्न है । निर्धारित प्रपत्र अनुसार इन तालिकाओं में पूरे जिले की एकजाई जानकारी को सम्मिलित कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावें ।
9. बिंदु क्रमांक–10.6 में दी गई जानकारी (पेज नं. 53 से 57) रिपोर्ट की अनुक्रमणिका के बिंदु क्रमांक–1.6 में शामिल की जा सकती है ।
10. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।
11. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) मे जो जिला का खनिज नक्शा दर्शाया गया है। उसमें दर्शाये गये रेत खदानों की स्थान स्पष्ट नही हो रहे है। कृपया इस नक्शे को A-3 size मे या अन्य उचित स्केल मे प्रिन्ट करवाकर लगायें। इसी प्रकार अन्य दर्शायें गये नक्शे जैसे जिले की जनसंख्या, नक्शा आदि भी संशोधित कर लेवें।
12. समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी

ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों/कछुआ /घड़ियाल/मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है।

13. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि दतिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री रमेश पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

13.<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – रीवा, म.प्र.– (अन्य गौण खनिज, रेत छोड़कर)</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 1234 दिनांक 26/07/22 के माध्यम से रीवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (**अन्य गौण खनिज–रेत छोड़कर**) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु सॉफ्टकापी भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/07/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में प्रस्तावित है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा म.प्र. ने पत्र क्रमांक 2413 दिनांक 25/07/2022 द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया/सेक कार्यालय में ऑनलाईन जमा कराई गई। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – रीवा ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संलग्न कार्यालय पत्राचार में यह उल्लेख किया गया कि इस डीएसआर को जिला पोर्टल पर दिनांक 17/06/22 को जन–सामान्य से आपत्ति व सुझाव प्रस्तुत करने बावत् अपलोड किया गया तथा प्राप्त आवश्यक सुधारों का समावेश किया जाकर डी.एस.आर. तैयार की गई है, जिसका अनुमोदन जिला समिति द्वारा किया गया है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में रीवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, रीवा की ओर से श्री रत्नेशन दीक्षित, खनि अधिकारी, ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :–

1. तालिका क0. 12.1 के पेज 23 से गिट्टी स्टोन की जो जानकारी प्रदर्शित की है, उसके रिमार्क कॉलम मे सरल क0. 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 123, 125, एंव 142 मे पर्यावारण स्वीकृति संबंधी जानकारी में कोई भी टिप्पणी नही की गई है तथा अन्य गौण खनिज जैसे : ऑकर एवं लेटराईट खनिज की जानकारी भी दी जावें। इस टेबिल में जानकारियॉ अधिसूचना दिनांक 25/07/18 में दिए गए फार्मेट के बिंदु क्रमांक–9 के अनुरूप कॉलमों में दी जाये, जैसे : सभी खदानों के अक्षांश–देशांश की भी जानकारी, मेथर्ड ऑफ माईनिंग इत्यादि । अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें ।
2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए जैसे : पेज–14 पर स्वाइल मेप, पेज–17 पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स इत्यादि।
3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है, सभी संचालित खदानों में किए गए वृक्षारोपण की जानकारी (खदानवार) दी जाना चाहिए, अतः इसको अद्यतन किया जाये ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रीवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री रत्नेशन दीक्षित, खनि अधिकारी,को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

14.<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – राजगढ़ (रेत खनिज) (संशोधित).</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 575वीं दिनांक 30/05/22 में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – राजगढ़ पर चर्चा हुई थी तथा परीक्षण उपरांत संशोधन हेतु सुझाव दिये गये थे ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ म.प्र. ने पत्र क्रमांक 638 दिनांक 26/07/2022 द्वारा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज), राजगढ़ द्वारा सीधे सेक को ऑनलाईन तथा एक प्रति हार्ड कापी में प्रस्तुत की गई है । उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज), समिति के सदस्यों को दिनांक 28/07/22 को प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में नियत है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज), राजगढ़ पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान खनिज विभाग राजगढ़ की

ओर से श्री मुकेश सिंह सिकरवार, खनि निरीक्षक ऑनलाईन उपस्थित हुये उन्होने बताया कि उक्त रिपोर्ट के संबंध में इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 575 वीं बैठक दिनांक 30/05/22 में जो सुझााव दिये गये थे, उनका समावेश रेत खनन के मामलें मे कर लिया गया है।

समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अभी भी कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता का अभाव है, जैसे

1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 25 पर अंकित है कि वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में रेत की रॉयल्टी टेबल में रेत का उत्पादन ''नॉट एप्लीकेवल'' दर्शाया गया है परंतु शासकीय राजस्व इन वर्षो में दर्शाया गया हैं जिस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाना चाहिए ।
2. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।
3. बिंदु क्रमांक–10 पर प्रस्तुत रेनफॉल की जानकारी में मासिक विवरण नहीं दिया गया है ।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न किए गए 29 गूगल इमेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि लगभग 10 से 15 खदानें पूर्ण रूप से जलमग्न है या ब्रिज के समीप है, इस स्थिति में रेत का खनन् सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईड लाईन, 2016 व इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईड लाईन फॉर सेंड माईनिंग, 2020 अनुसार किस प्रकार किया जायेगा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई हैं एवं क्या जिला समिति द्वारा इन स्थलों का भौतिक सत्यापन किया गया है । समिति का सुझाव है कि ऐसे संसेटिव फीचर्स की जानकारी का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में आवश्यक उल्लेख किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के समय समिति को निर्णय लेने में असुविधा न हो ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि उपरोक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज), राजगढ़ को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री मुकेश सिंह सिकरवार, खनि निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई कि वे उपरोक्तानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

15.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – भोपाल, म.प्र.– (रेत खनिज)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 2329 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से भोपाल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–रेत खनिज हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु दिनांक 28/07/22 को प्राप्त हुई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 28/07/22 (स्केन्ड कापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को प्रस्तावित है।

587वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अगस्त 2022

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल म.प्र. के पत्र क्रमांक 2329 दिनांक 27/07/22 द्वारा प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–रेत खनिज में यह उल्लेख किया गया कि प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जन–सामान्य के सुझाव हेतु जिले की बेवसाइट पर 21 दिन के लिए अपलोड कराया गया, जिस पर कोई आपत्ति /सुझाव प्राप्त नहीं हुए तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु समिति की बैठक दिनांक 29/04/22 में रखा गया समिति ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अपेंडिक्स–10 में वर्णित फॉरमेट तथा स्ट्रेक्चर सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाइडलाईन, 2016, इनफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाईन फॉर सेंड माईनिंग, 2020 में दिए गये दिशा–निर्देशों को समाहित करते हुए प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किया जाना पाया गया।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को सीधी जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, सीधी की ओर से श्री कमल दिनकर, उप संचालक, खनि कर्म, भोपाल ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :–

1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में कुछ जानकारियॉ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट/ तालिका में नहीं दी गई है । जैसे टेबिल क्रमांक 16 व 17 (पेज क्रमांक–77 व 78) में खनिज रेत हेतु लीजवार "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार लम्बाई एंव चौड़ाई के साथ नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।
2. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।
3. इसी प्रकार पेज क्रमांक–07 पर सिर्फ 02 रेत खदानों का विवरण दिया गया है तथा उसमें भी उनका क्षेत्रफल तथा लीज वैधता की अवधि का उल्लेख नहीं है जो अधिसूचना में निहित प्रपत्र अनुसार दी जाना चाहिए ।
4. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।
5. समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों/कछुआ /घड़ियाल/मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला भोपाल को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री कमल दिनकर, उप संचालक, खनि कर्म, भोपाल को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

16.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – डिंडोरी, म.प्र.– (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 572वीं बैठक दिनांक 19/05/22 में एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में की गई अनुशंसानुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी म.प्र. पत्र क्रमांक 209 दिनांक 28/07/22 के माध्यम से जिला डिंडोरी की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) सुधार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित की है।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को डिंडोरी जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, डिंडोरी की ओर से श्री हितेश कुमार बिसेन, खनि अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :–

1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 49 पर दर्शित तालिका के प्रथम लीज मूसमुंडी रायत–1 एवं अंतिम लीज बुंडर में प्रस्तुत ऑकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थल पर सेंड रिप्लेनिशमेंट नहीं/बहुत कम हो रहा है, क्योंकि प्री–मानसून एवं पोस्ट मानसून मात्रा लगभग एक जैसी दर्शित है, अतः पुनः जॉच लिया जाये ।
2. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 71 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला डिंडोरी को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री हितेश कुमार बिसेन, खनि अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

17.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – जबलपुर, म.प्र.– (रेत खनिज)

खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जबलपुर के पत्र क्रमांक 2076 दिनांक 20/07/22 के माध्यम से जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट **रेत खनिज** हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जो राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को दिनांक 28/07/22 को प्राप्त हुई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 28/07/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को प्रस्तावित है।

प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जबलपुर के पत्र क्रमांक 1656 दिनांक 30/05/22 में यह उल्लेख किया गया कि इस रिपोर्ट को जिले की बेवसाईट पर 21 दिवस तक को अपलोड किया गया, जिसमें कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए । इसी प्रकार प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जबलपुर के पत्र क्रमांक 1675 दिनांक 01/06/22 में यह उल्लेख किया गया कि गठित समिति की बैठक दिनांक 31/05/22 में इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया हैं ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को जबलपुर जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, जबलपुर की ओर से श्री अभिषेक पटले, खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुसार बनाई गई हैं तथा इसके साथ जिले में स्वीकृत खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किए गए हैं। चर्चा उपरांत निम्न संशोधन हेतु निर्देशित किया गया :–

1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 71 से 76 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला जबलपुर को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री अभिषेक पटले, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

18.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बालाघाट (म.प्र.)–अन्य गौण खनिज

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/22 एवं 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में की गई अनुशंसानुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट म.प्र. ने पत्र क्रमांक–938 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला बालाघाट (म.प्र.)–अन्य गौण खनिज ई–मेल के माध्यम से दिनांक 27/07/22 को प्रस्तुत की गई है जिसे समिति के सदस्यों को दिनांक 28/07/22 को ई–मेल से प्रेषित किया गया।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को बालाघाट जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, बालाघाट की ओर से श्री सोहन सलामे, खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :–

1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–अन्य गौण खनिज पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार ही बनाई जाये ।
2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका–9 (पेज क्रमांक–34 से 35) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में नहीं है । निर्धारित प्रपत्र के क्रमांक–9 के कॉलम–05, 09, 10, 11, 13, 14, 15 एवं 16 इत्यादि की जानकारी नहीं दी गई हैं ।
3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास सिर्फ 39 खदानों में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व किए गए वृक्षारोपण की जानकारी दी गई है जबकि खदानों की संख्या लगभग 68 है। समिति की अनुशंसा है कि इस जानकारी को अद्यतन कर लिया जाये तथा सभी संचालित खदानों में हरित क्षेत्र के विकास की जानकारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बालाघाट (रेत खनिज को छोड़कर अन्य गौण खनिज) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री सोहन सलामे, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

19.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बालाघाट (म.प्र.)–रेत खनिज ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/22 एवं 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में में की गई अनुशंसानुसारकार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट

म.प्र. ने पत्र क्रमांक–938 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला बालाघाट (म.प्र.)–अन्य गौण खनिज ई–मेल के माध्यम से दिनांक 27/07/22 को प्रस्तुत की गई है जिसे समिति के सदस्यों को दिनांक 28/07/22 को ई–मेल से प्रेषित किया गया।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को बालाघाट जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, बालाघाट की ओर से श्री सोहन सलामे, खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :–

1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में कुछ जानकारियॅा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट / तालिका में नहीं दी गई है । जैसे टेबिल क्रमांक 15 एवं 16 में खनिज रेत हेतु लीजवार "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार लम्बाई एंव चौड़ाई के साथ नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।
2. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 86 एवं 87 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की मात्रा खदानवार भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।
3. खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बालाघाट (रेत खनिज) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री सोहन सलामे, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

20.<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला रायसेन – रेत खनिज – (संशोधित)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 एवं 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में की गई अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन म.प्र. ने पत्र 841 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से रायसेन जिले की संशोधित – रेत खनिज जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, समिति के सदस्यों को दिनांक 28/07/22 को सॉफ्टकापी प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में प्रस्तावित है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन म.प्र. ने पत्र 1841 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से अवगत कराया है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रायसेन के संबंध में इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में जो सुझााव दिये गये थे, उनका समावेश रेत खनन के मामलें मे कर लिया गया है ।

चर्चा के दौरान खनिज विभाग, रायसेन की ओर से श्री राजीव कदम, खनिज निरीक्षक ऑनलाईन उपस्थित हुए चर्चा के दौरान समिति ने पाया कि प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु है, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुरूप जानकारियों को अद्यतन कर प्रस्तुत किया गया हैं । समिति ने पाया कि रायसेन_ जिले की यह संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (**रेत खनिज**) पूर्व में जिला समिति से अनुमोदित है तथा 21 दिवस तक जिले के पोर्टल पर दावा/आपत्ति हेतु रखी जा चुकी है । समिति ने पाया कि समिति द्वारा पूर्व की बैठकों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सुधार हेतु जो सुझाव दिये गये थे की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में सुधार कर संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (**रेत खनिज**) प्रस्तुत की गयी है। चर्चा उपरांत निम्न संशोधन हेतु निर्देशित किया गया :–

1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 66 से 68 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला रायसेन को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री राजीव कदम, खनि निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

21.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला जिला अनूपपुर – रेत खनिज – (संशोधित)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में की गई अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर म.प्र. ने पत्र 1324 दिनांक 28/07/22 के माध्यम से अनूपपुर जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, समिति के सदस्यों को दिनांक 28/07/22 को सॉफ्टकापी प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में प्रस्तावित है।

चर्चा के दौरान खनिज विभाग, अनूपपुर की ओर से सुश्री आशा लता, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन एवं सुश्री ईशा वर्मा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए जिन्होंने बताया कि जिला सर्वेक्षण

रिपोर्ट अनूपपुर के संबंध में इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में जो सुझााव दिये गये थे, उनका समावेश रेत खनन के मामलें मे कर लिया गया है (जिसको कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर म.प्र. ने पत्र 1324 दिनांक 28/07/22 के माध्यम से अवगत भी कराया है)। चर्चा के दौरान समिति ने पाया कि प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु है, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुरूप जानकारियों को अद्यतन कर प्रस्तुत किया गया हैं । समिति ने पाया कि अनूपपुर जिले की यह संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) पूर्व में जिला समिति (बैठक दिनांक 27/4/22) से अनुमोदित है तथा 21 दिवस तक जिले के पोर्टल पर दावा/आपत्ति हेतु रखी जा चुकी है । समिति ने पाया कि समिति द्वारा पूर्व की बैठकों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सुधार हेतु जो सुझाव दिये गये थे (जैसे माइनेबल मिनरल पोटेशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल लीजवार विवरण की जानकारी निर्धारित प्रपत्र साथ ही स्वीकृत 22 रेत खदानों के कोर्डीनेट्स (Co-ordinates) के अनुसार लीजवार गूगल (KML Files CD) में सुधार कर संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) प्रस्तुत की गयी है। चर्चा उपरांत निम्न संशोधन हेतु निर्देशित किया गया :–

1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 47 से 50 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला अनूपपुर को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित सुश्री आशा लता, प्रभारी खनिज अधिकारी एवं सुश्री ईशा वर्मा, खनि निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॅात निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

22.<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला सिंगरौली (म.प्र.) – (संशोधित)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में की गई अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर –(खनिज शाखा), जिला सिंगरौली ने e-mail दिनांक 31/07/22 ने पत्र कमांक कमांक–1731/खनिज/2022, दिनांक 01/06/2022 के माध्यम से सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, (संशोधित) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (संशोधित) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 01/08/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में प्रस्तावित की गई ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, सिंगरौली की ओर से श्री अशोक कुमार राय, प्रभारी खनिज अधिकारी उपस्थित हुए । श्री राय ने अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में जो सेक द्वारा सुझाव दिये गये थे, उनका समावेश पूर्णतः कर लिया गया है । चर्चा उपरांत निम्न संशोधन हेतु निर्देशित किया गयाः–

- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल कमांक–22 (Comparative Study: Pre and Post Monsoon Scenario) में खनिज रेत हेतु ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) दिया गया है परंतु प्रस्तुत टेबल में खनन् योग्य खनिज क्षमता (जिसके आधार पर 60 प्रतिशत माईनिंग पोटेंशियल निकाला गया है) की मात्रा दर्शाना उचित होगा ।
- ✓ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 116 से 118 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।
- ✓ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों के को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री अशोक कुमार राय, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

23. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला धार (म.प्र.) – रेत खनिज (संशोधित)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22 एवं 581वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में की गई अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने ई–मेल दिनांक 29/07/2022 (कार्यालय कलेक्टर –(खनिज शाखा), जिला धार म.प्र. ने पत्र कमांक 1104/खनिज/2022–23 दिनांक 27/07/22) के माध्यम से धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज (संशोधित) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ

मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 30/06/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में प्रस्तावित की गई ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1104/खनिज/2022–23 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रिपोर्ट इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 एवं 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में जो सेक द्वारा सुझाव दिये गये थे, उनका समावेश पूर्णतः कर लिया गया है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/07/22 में धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, धार की ओर से श्री मोहन सिंह खतेड़िया, खनिज अधिकारी उपस्थित हुए । श्री खतेड़िया ने अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में जो सेक द्वारा सुझाव दिये गये थे, उनका समावेश पूर्णतः कर लिया गया है । चर्चा उपरांत निम्न संशोधन हेतु निर्देशित किया गया :–

- ✓ इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक – निरंक (Pre and Post Monsoon Scenario) में खनिज रेत हेतु ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार जानकारी प्रस्तुत की गई है किंतु यह जानकारी लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ दिया जाना चाहिए ।

- ✓ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका क्रमांक–26 में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ?

- ✓ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों के को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री मोहन सिंह खतेड़िया, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

25. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर चर्चा उपरांत समिति के सुझाव</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक में यह पाया गया कि विभिन्न जिलों से प्राप्त हो रही जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित प्रपत्र अनुसार सम्पूर्ण जानकारियों का समावेश नहीं किया जा रहा है जिस कारण बार–बार इनमें संशोधन की आवश्यकता पड़ रही हैं।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अन्य जानकारियों के साथ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उस स्वीकृत खदान् का प्रतिवर्ष वर्षाकाल पश्चात् 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेशियल (रेत खनन हेतु) क्या है इसकी सटीक जानकारी आवश्यक है क्याकि इसी परिस्थिति में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेर्शो एवं मार्गदार्शिका अनुसार सस्टेनेबल सेड माईनिग की अवधारणा पूर्ण हो सकेगी । माइनेबल पोटेशियल की गणना उस स्थल की रिपलेनिशमेंट की क्षमता, खनन् योग्य उपलब्ध क्षेत्र एवं खनन् की गहराई (किसी भी परिस्थिती 03 मीटर से अधिक नही) के आधार पर की जा सकती है तथा यदि उस स्वीकृत खदान् से पूर्व के वर्षो में (अधिकतम 03 वर्ष) रेत का खनन् किया गया हो तो उसकी औसत मात्रा का भी उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि उस स्वीकृत खदान् का वास्तविक मिनरल पोटेशियल ज्ञात हो सके तथा उसके आधार पर 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेशियल निकाला जा सके । किसी भी परिस्थिति में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेशियल से ज्यादा मात्रा में रेत के खनन् की अनुमति की अनुशांसा नही की जाना चाहिऐ । पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सस्टेनेबल सेड माईनिग मार्गदार्शिकाए 2016, 2020 व अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु विस्तार में निर्देश व मार्गदर्शन दिये गय है तथा उसका पालन करते हुए 60 प्रतिशत तक माइनेबल पोटेशियल की गणना की जाए । समिति का ऐसा मानना है कि इस संदर्भ में संबंधित खनिज अधिकारियों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं, क्योंकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में जो आंकड़े दिये जाने हैं, वे सभी उनके पास सामान्यतः उपलब्ध होते हैं । अतः समिति ने यह निर्धारित किया कि :–

1. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की आगामी बैठक में प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो का प्रस्तुतीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष किया जाये (विशेषकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित तालिकाओं का) जिससे समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर उसी समय उपस्थित खनिज अधिकारी को मार्गदर्शन देकर सुधार हेतु समझाईश दी जा सके ताकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर त्वरित निर्णय हो सके ।
2. इसी प्रकार समिति की आगामी बैठ्क जिसमें संबंधित खनिज अधिकारियों द्वारा नई जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर प्रस्तुतीकरण किया जाना है, अतः सभी सदस्यों की उपस्थिति उनके बहुमूल्य सुझाव हेतु आवश्यक होगी ।
3. जिलों से प्राप्त होने वाली जिला सर्वेक्षण रिपोटें ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हो रही है

अतः जब खनिज अधिकारी समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित हो या उसके पहले एक पठनीय जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की हार्ड कापी (एकजाई सभी संशोधनों के साथ) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करें ।

4. इसी प्रकार रेत खनिज हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार तालिका में ''माइनेवल मिनरल पोर्टेशियल'' (घनमीटर में) 60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोर्टेशियल की लीजवार जानकारी (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) प्रस्तुत की जाना हैं। इस जानकारी के साथ–साथ विगत 03 वर्षो में उस स्थान से निकाली गई रेत की जानकारी उल्लेखित की जाना उचित होगी, ताकि उस स्थान पर रेत की वास्तविक उपलब्धता का आंकलन किया जा सके ।
5. रेत खनन् से संबंधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुओं / घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है / नदी का कर्व / जियोलॉजिकल फॉरमेशन / रिप्लेनिशमेंट इत्यादि से संबंधित कोई संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ताकि सस्टेनेबल सेंड माईनिंग की जा सके।
6. रेत खनिज को छोड़कर अन्य गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार सभी खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी जा रही अतः पहले से अनुदत्त पट्टों में पौधारोपण और हरित पट्टी विकास संबंधी जानकारी भी अंकित किया जाना चाहिए।

24. <u>Cases where PP has not submitted the desired information/pending since long/ remains absent from the SEAC meeting:</u>

Cases tabulated below were appraised in various SEAC meetings wherein online query/clarification was sought from PP but even after 30 days reply/response from the PP is awaited or reply/ proposal is incompleted.

Committee observed that PP's of above cases have not submitted the desired information and cases are pending since long. SEIAA vide letter no. 2590 dated 15/12/21 has communicated policy decision taken in their 694th meeting dated 26/11/21 and according to the policy decision taken by SEIAA at point no.08 SEAC should make final recommendations within 30 days for EC/ TOR.

The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal, their cases may be

recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

SN	Case No. Activity	SEAC Meeting details in which query/clarification was sought from PP	Reason for recommending for delisting
1.	**Case No 7505/2020** M/s Ram Janki Granite, Village - Didwara, DIst. Chhatarpur, MP, **SIA /MP /MIN /54918 / 2020**	Q- 582nd dated 29/06/22	The reply to ADS is not received on PARIVESH within 30 days, hence project may be delisted.
2.	**Case No 9193/2022** Shri Jitendra Yadav S/o Shri Ramnaresh Yadav, A-2, Mandakini Block, Kevihgar Line 1, Batalian, Dist. Indore, MP – 453111	Q- 582nd dated 29/06/22	The reply to ADS is not received on PARIVESH within 30 days, hence project may be delisted.

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

<u>Annexure- 'A'</u>

<u>Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:</u>

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner’s Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE’s. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine’s site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    f. Lease owner’s Name, Contact details etc.

g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
i. Minable Potential of sand mine.
j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

    नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महॅुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    o. Minable Potential of sand mine.
    p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केंचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'
General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained